सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (रा

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आ

प्रकरण संख्या– 01/2017

बउनवान

1– जगन्नाथसिंह पुत्र खुमान सिंह जाति–राजपूत निवासी–सुर

बनाम

1– सुआलाल पुत्र नाथ्या कोम चमार निवासी–डाबरी नक्कीजी तह.अन्ता
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व बनाराजगी तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री शिवस्वरूप शर्मा अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**
3. पेरोकार सरकार **(रेस्पों0 कम–2)**

निर्णय दिनांक– 26.02.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट व रेस्पों0 कम–1 के शामलाती खाते में ग्राम डाबरी नक्कीजी तह. अन्ता की आराजी ख0नं0 278 रकबा 2.35 है0 दर्ज थी जिसका दोनो ने आपसी सहमति से दिनांक 24.6.2016 को बंटवारा किया तथा बंटवारे की पालना में नामान्तकरण संख्या 373 दर्ज किया गया। उक्त आराजी ख0नं0 278 के साबिक खसरा नम्बर 157, 158, 159 व 160 दर्ज हुये थे। पूर्व में उक्त खसरा नम्बर 158 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पों0 के खाते दर्ज रहीं है जबकि शेष भूमि अपीलांट के खाते में थी। परन्तु वर्तमान जमाबंदी में शामलाती खाते में भूमि दर्ज होने के कारण अपीलांट व रेस्पों0 ने आपसी सहमति से कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा कर लिया था जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तकरण 373 तहसीलदार अन्ता द्वारा पुनः रिव्यू करते हुये आदेश दिनांक 8.7.2016 पारित कर, नामान्तकरण संख्या 373 को निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश मौजूदा कानून व पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान् में आपसी सहमति का बंटवारा हुआ है जिसको निरस्त किये बिना हीं नामान्तकरण संख्या 373 का पुर्नअवलोकन कर, निरस्त करना कानून विरूद्व है क्योकि बंटवारा निरस्त नहीं हुआ है तथा रिव्यू करने से पूर्व पक्षकारान् को न तो नोटिस दिये गये ओर न हीं सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जिससे अपीलांट व रेस्पों0 को अपना पक्ष नही रख पाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मर्जी से उक्त नामान्तकरण को रिव्यू करने

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्या... पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 बाबत रिव्यू सहमति... निरस्त फरमाया जाकर नामानतकरण संख्या 373 को वि...

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया... तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख... अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर... रेस्पों0 क्रम–1 तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 के वाके ग्राम डाबरी नक्कीजी तह. अन्ता में खसरा नम्बर 278 रकबा 2.35 है0 शामलाती खाते में दर्ज है जो साबिक ख0नं0 157, 158, 159 व 160 से मिलकर बने है। इसमें से खं0नं0 158 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पों0 क्रम–1 पिता नाथ्या के खाते दर्ज थी तथा ख0नं0 157, 160 व 159 की अपीलांट के शामलाती खाते दर्ज थी। अपीलांट व रेस्पों0 की आराजी के नये नम्बर 278 शामलाते दर्ज होने के कारण पक्षकारान् ने अपने–अपने काबिज काश्त अनुसार केम्प में दिनांक 24.6.16 को सहमति बटवारा प्रस्तुत करने पर, उक्त बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा दिनांक 01.07.2016 को नामान्तकरण संख्या 373 तस्दीक किया गया। इसके उपरान्त तहसीलदार, अन्ता द्वारा हीं सहमति बंटवारा आदेश से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42 का उल्लघंन मानकर, बटवारा आदेश दिनांक 24.6.16 को पुर्नअवलोकन कर, सहमति बटवारे को अपास्त मानकर, नामा0 संख्या 373 वाके ग्राम डाबरी नक्कीजी निरस्त करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान् खातेदारान् को सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं दिया है।

साथ हीं कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य दिनांक 24.6.2016 को सहमति बटवारा काबिज काश्त आराजी पर सहमति के आधार पर हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारे को हीं अपास्त कर दिया है जबकि इसको अपास्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बंटवारा व स्वंय द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण को पुर्नअवलोकन किया गया है, जो कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पों0 को उक्त बंटवारे पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 निरस्त फरमाया जाकर, नामान्तकरण संख्या 373 वाके ग्राम डाबरी नक्काजी तह. अन्ता को विधिक करार घोषित किया जावे।

इसके विपरीत रेस्पों0 क्रम–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन देते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति बटवारें को अपास्त करने व नामान्तकरण संख्या 373 को निरस्त करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर पेरोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलांट [illegible] से है तथा रेस्पों0 अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। यदि सहमति के [illegible] भूमि का बंटवारा किया गया तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की [illegible] का उल्लघंन होगा। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट, रेस्पों0 क्रम–1 व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांट व रेस्पों0 [illegible] विवादित आराजी ख0नं0 278 रकबा 2.35 है0 खातेदारी में दर्ज है, उक्त आराजी साबिक ख0नं0 157, 158, 159 व 160 से मिलकर बनी है। इसमें से खं0नं0 158 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पों0 क्रम–1 पिता नाथ्या के खाते दर्ज थी तथा ख0नं0 157, 159 व 160 की भूमि अपीलांट के शामलाती खाते दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेंट नये नम्बर 278 शामलाते दर्ज हुए है, सहवन से उक्त शामिल आराजी का तत्समय अपने–अपने हिस्से की आराजी का विभाजन नहीं हुआ व एक साथ दर्ज की गयी है। चूकि वर्तमान में अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 की शामलाती आराजी ख0नं0 278 रकबा 2.35 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि रेस्पों0 क्रम–1 के पिता के साबिक ख0नं0 158 में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि खाते दर्ज है तथा ख0नं0 156, 159 व 160 की शेष भूमि रेस्पों0 के शामलाती खाते दर्ज है जो विधिवत रूप से अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। पक्षकारान् से अपनी आपसी सहमति बनाकर, केम्प में दिनांक 24.6.2016 को सहमति बंटवारा प्रस्तुत किया है, इसी आधार पर नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 01.07.2016 को तस्दीक हुआ है। जिसे तहसीलदार, अन्ता द्वारा पुर्नअवलोकन कर, धारा–42 आरटीए का उल्लघंन मानकर, उक्त सहमति बटवारा व नामान्तरण संख्या 373 अपास्त कर गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योकि अपीलांट के खाते में सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 156, 159 व 160 की कुल रकबा   है0 तथा रेस्पों0 क्रम–1 के पिता के खाते में ख0नं0 158 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। यदि प्रश्नगत आराजी की ख0नं0 278 रकबा 2.35 है, जो शामलाते दर्ज है। इसकी अपनी–अपनी हिस्से की आराजी की गणना की जावें तो अपीलांट व रेस्पों0 क्रम–1 के सेटलमेंट पूर्व दर्ज रकबे के बराबर–बराबर हीं होता है। यह स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पों0 को अपने–अपने हिस्से से अधिक या कम भूमि दर्ज नहीं की गयी है। इसलिये हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42 का उल्लघंन नहीं माना जा सकता।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 निरस्त किया जाकर, तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 373 तस्दीकी दिनांक 01.07.2016 वाके ग्राम डाबरी नक्कीजी तह. अन्ता को वैध करार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official